लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

नई दिल्ली, दिनांक -

(रावसाहेब पाटिल दानवे)
खान, कोयला एवं रेल राज्य मंत्री
(Raosaheb Patil Danve)
रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री
Minister of State for Railways
Coal and Mines

वर्ष 2020-21 के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल) की 49 वीं वार्षिक रिपोर्ट - सरकार द्वारा समीक्षा।

1. <u>पृष्ठभूमि</u> :

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक में है, को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत तत्कालीन प्रशासनिक इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग के अधीन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में 01 अप्रैल, 1972 में निगमित किया गया था, ताकि भारत सरकार के स्वामित्व तथा विभागीय रूप से प्रबंधित कोलार गोल्ड माइंस उपक्रमों की परिसंपत्तियों, देयताओं तथा अधिकारों, खनन पट्टों, यदि कोई हो, को अधिगृहीत और अधिप्राप्त किया जा सके। यह कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक की गृहीत खानों तथा आंध्र प्रदेश में पट्टा भूमियों से स्वर्ण के उत्पादन हेतु खनन में लगी हुई थी। तत्पश्चात, इस कंपनी ने अन्य पीएसयू और निजी खनन कंपनियों के लिए खान निर्माण और उपकरण संबंधी कार्य करने, खनन एवं इंजीनियरी उपकरणों के विनिर्माण करने हेतु अपने कार्यों का विविधीकरण किया।

2. <u>निवेश</u> :

कंपनी की 31 मार्च, 2021 को अधिकृत पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी क्रमश: 60 करोड़ रू. तथा 51.06 करोड़ रू. थी। संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में है। कंपनी पर 31 मार्च, 2021 को भारत सरकार ऋण की देयताएं 219.29 करोड़ रू. एवं सरकारी ऋण पर अर्जित ब्याज 1574.21 करोड़ रू. था। दिनांक 31 मार्च, 2021 को कंपनी का ऋणात्मक नेट वर्थ (-) 1964.73 करोड़ रू. था।

3. <u>कंपनी का समापन</u> :

3.1 बीजीएमएल कंपनी शुरू से ही नुकसान उठा रही थी और वर्ष 1992 में इसका शुद्ध मूल्य नकारात्मक हो गया तथा उसे रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए 1985) के प्रावधानों के अधीन 'रूग्ण' घोषित कर दिया गया और औद्योगिक तथा वित्तीय विनिर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दिया गया था। बीआईएफआर ने लंबे विचार-विमर्श के बाद एसआईसीए, 1985 की धारा 20(1) के अधीन कंपनी को लोक हित में बंद करने के लिए 12 जून, 2000 को यह राय दी कि सभी संबंधितों को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद बोर्ड के विचार हेतु पूर्णत: वित्तपोषित साधनों के साथ कोई व्यवहार्य पुर्नरूद्धार पैकेज नहीं प्रस्तुत किया गया था। बीआईएफआर के इस निर्णय को नवंबर, 2000 में औद्योगिक तथा वित्तीय विनिर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) द्वारा सही माना गया था। बीआईएफआर ने अपनी राय आवश्यक कार्रवाई के लिए 30 जून, 2000 को रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक उच्च न्यायालय को अग्रेषित की और उसे कंपनी याचिका 180/2000 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

3.2 इसी बीच, कंपनी को 01.03.2001 से बंद करने के लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अंतर्गत अनुमति प्रदान की। बीजीएमएल का प्रचालन 01.03.2001 से बंद है।

3.3 माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कर्मचारी संघों और अन्यों द्वारा दायर की गई विभिन्न रिट याचिकाओं का निपटान करते हुए अपने दिनांक 26.09.2003 के आदेश के द्वारा बीआईएफआर के मत को मानते हुए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति को सही माना तथा कर्मचारियों के लिए कुछ राहत उपायों की सिफारिश की।

3.4 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2006 में (i) बीजीएमएल के भूतपूर्व कर्मचारियों, जो कंपनी के बंद होने के वक्त सेवा में थे, के लिए एक स्पेशल टर्मिनल बैनिफिट पैकेज (एसटीबीपी), (ii) न्यायालय द्वारा संस्तुत रियायती दरों पर मकानों/ क़्वार्टरों की बिक्री, (iii) बीजीएमएल की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित करने को अनुमोदित किया है।

3.5 सभी चार खनन पट्टे पहले ही समाप्त हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्थित सभी तीन खनन पट्टों को रद्द कर दिया है। उसके पश्चात, आंध्र प्रदेश सरकार ने दो खनन स्वर्ण ब्लॉकों की नीलामी की जिनमें से दो बीजीएमएल के विद्यमान खनन पट्टा शामिल हैं। यद्यपि, कोलार गोल्ड फील्डस, कर्नाटक में स्थित कैप्टिव खान संबंधी खनन पट्टे के नवीकरण के बारे में कर्नाटक सरकार के साथ कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में, संभावित शर्तों पर बीजीएमएल को 'जहां है जैसे है' के आधार पर सांकेतिक राशि पर कर्नाटक सरकार (जीओके) को सौंपे जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार सहमत नहीं हुई। इसलिए मंत्रिमंडल के 2006 के निर्णय को क्रियान्वित करना कठिन है।

3.6 बीजीएमएल के संबंध में भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें, यह निर्णय लिया गया कि विभाग बीजीएमएल के लिए अन्य विकल्प खोजे। इसके लिए डंप और खनन क्षेत्र का अन्वेषण करने की जरुरत थी, ताकि संसाधनों का आकलन एवं तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (टीईएफएस) किया जा सके। तदनुसार, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) को केजीएफ में डंप और दो अखनित ब्लॉकों के अन्वेषण का कार्य सौंपा गया था, एमईसीएल ने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एमईसीएल ने बेट्ट्रास्वामी ब्लॉक का भी अन्वेषण किया और मार्च, 2021 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा, नॉन-फेरस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी) को बीजीएमएल के टेलिंग डंप से सोने के निष्कर्षण के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (टीईएफएस) का कार्य सौंपा गया था। एनएफटीडीसी की टीईएफएस रिपोर्ट जनवरी, 2021 में प्राप्त हुई है। इन रिपोर्टों के आधार पर, मैनेजमेंट कंसलटेंट ने सुझाव दिया है कि बीजीएमएल अपने आप परिचालन नहीं कर सकता है।

4. <u>बोर्ड का गठन</u> :

कंपनी के मामलों का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिन्हे निम्नलिखित अतिरिक्त प्रभार दिया गया है :

(i) डॉ. रंजीत रथ, सीएमडी, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीजीएमएल में प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(ii) श्रीमती फरीदा एम. नाइक, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में।

(iii) डॉ. वीना कुमारी डी, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में।

(iv) श्री अरुण गोयल, महाप्रबंधक (वित्त), खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, निदेशक (वित्त), बीजीएमएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

5. जनशक्ति:

सभी 3580 कर्मचारी जो कि 28.02.2001 को कंपनी की सेवा में थे, की सेवाएं 01.03.2001 से समाप्त कर दी गई थी। उनके सेवांत लाभों को भी निपटा दिया गया था। कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और तकनीकी मामलों की देख रेख के लिए, दो वरिष्ठ अधिकारीयों, एक भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) से विशेष कार्यधिकारी के तौर पर एवं दूसरे

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) से निदेशक स्तर के अधिकारी को बीजीएमएल में नियुक्त किया गया है। एक मैनेजर (फाइनेंस) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से नियुक्त किये गए हैं और एक अधीक्षक एमईसीएल से बीजीएमएल में पूर्णकालिक आधार पर काम कर रहे हैं। सुरक्षा सेवाओं (167 व्यक्ति) को आउटसोर्स किया गया है। कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा एजेंसी के कार्यों की निगरानी के लिए, सीमा सुरक्षा बल से प्रतिनियुक्ति आधार पर एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी को नियोजित किया गया है। इन सभी अधिकारियों की सहायता के लिए अनुबंध शर्तों के आधार पर बीजीएमएल के 7 क्लर्कियल कर्मचारी और 2 हाउसकीपिंग कर्मचारी तैनात हैं।

****